

विषय: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक कार्यक्रम।

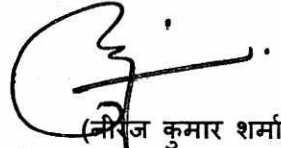
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया है। यह वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है। इस वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

क्र.सं.	कार्य विवरण	क्षेत्र	निर्धारित लक्ष्य
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)/ Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को From "A" to "A" 2. "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को From "A" to "B" 3. "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को From "A" to "C" 4. "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति/ From Region "A" to Offices/individuals in States/UTs of "A" & "B" region.	100% 100% 65% 100%
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना/ Letters received in Hindi to be answered in Hindi.		100%
3	हिंदी में टिप्पण/ Noting in Hindi.		75%
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम/ Training Programme through Hindi medium		70%
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती/ Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers.		80%
6	हिंदी में डिक्टेशन/ की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)/ Dictation in Hindi/Direct Typing on Key-board.(Self and by the Asstt.)		65%
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)/ Hindi Training (Language, Typing/ Stenography).		100%
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना/ Preparation of Bilingual Training Material.		100%
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय/ Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital matters i.e., Hindi e-books, CD/DVD, Pen Drive including amount incurred on Translation in Hindi from		50%

	English & Regional Languages out of the total Library grant, excluding journals and standard reference books.		
10	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद/ Purchase of all electronic equipments, including computers in Bilingual form.		100%
11	वेबसाइट द्विभाषी हो/Website bilingual.		100%
12	नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो/ Citizen charter and display of public interface Information Board bilingual.		100%
13(I)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों(उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)/ Inspection by ministries/ Departments/ offices of their offices located outside their Headquarters and by the officers(DS/Dir/JS)of DOL (% of offices)		25% (न्यूनतम)
(II)	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण / Inspections of sections at Headquarters.		25% (न्यूनतम)
14	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें/ Meetings of Official Language Implementation Committee regarding official Language.	वर्ष में 04 बैठकें	प्रति तिमाही एक बैठक
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद/ Translation of Codes, Manuals, forms, procedural literature.		100%
16	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हो / Sections of the Ministries/ Departments/ Offices/ Banks/ Undertakings where entire work to be done in Hindi		40%

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान "क" क्षेत्र में आता है। अतः संस्थान के सभी केन्द्र प्रमुख तथा विभाग/अनुभाग के अध्यक्षगण से अनुरोध है कि वे वर्ष 2021-22 हेतु राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को सम्बन्धित अधिकारियों/स्टाफ के ध्यान में लाएं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयास किए जाएं।

इस संबंध में किसी भी प्रकार के सहयोग हेतु हिंदी अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।


(नर्मल कुमार शर्मा)

वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी

वितरण :

- सभी केन्द्र-प्रमुख एवं विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण।
- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- सभी नोडल राजभाषा अधिकारीगण।
- ✓ उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

नोट:

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

प्राप्त किया / RECEIVED
कंप्यूटर सुविधा / Computer Facility

31 MAR 2021

समय / Time 2:48 PM
आ.आ.सं. नई दिल्ली / A. A. S. New Delhi

Sh. Aman
31/3/21
संकिता शर्मा

सत्य गुप्ता
31/3